



THE PLASTICS EXPORT  
PROMOTION COUNCIL

## दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल

(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

## THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL

(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ: प्लेक्स/सर्क/135

दिनांक: 06 मई 2026

को

प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य / सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

**विषय: एचबीपी-2023 के पैरा 4.12 (vi) के तहत तदर्थ मानदंडों की वैधता**

**संदर्भ: डीजीएफटी सार्वजनिक सूचना संख्या 07/2026-27 दिनांक 05 मई 2026**

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि उपरोक्त सार्वजनिक सूचना विदेश व्यापार नीति 2023 के अनुच्छेद 1.03 और 2.04 के तहत एचबीपी-2023 के पैरा 4.12 (vi) के तहत तदर्थ मानदंडों की वैधता में संशोधन के संबंध में जारी की गई है।

मौजूदा पैरा 4.12(vi)	संशोधित अनुच्छेद 4.12 (vi)
डीजीएफटी कार्यालय में किसी भी मानदंड समिति (एनसी) द्वारा 01.04.2023 को या उसके बाद अनुच्छेद 4.07 के तहत प्राप्त किसी भी अग्रिम प्राधिकरण के संबंध में अनुमोदित मानदंड अनुमोदन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होंगे। हालांकि, एचबीपी, <b>2015-2020 के अनुच्छेद 4.07 के तहत प्राप्त किसी भी अग्रिम प्राधिकरण के संबंध में किसी भी मानदंड समिति (एनसी) द्वारा 01.04.2015 को या उसके बाद अनुमोदित मानदंड 31.03.2026 तक भी वैध रहेंगे।</b> चूंकि मानदंड समितियों के सभी निर्णय डीजीएफटी वेबसाइट पर कार्यवृत्त के रूप में उपलब्ध हैं, इसलिए अग्रिम प्राधिकरण के अन्य सभी आवेदक भी इन मानदंडों की वैधता अवधि के दौरान ऐसे अनुमोदित मानदंडों के आधार पर बार-बार आवेदन करने और अपना प्राधिकरण प्राप्त करने के पात्र हैं। यह अनुच्छेद 96 परिशिष्ट 4पी के अंतर्गत सूचीबद्ध मदों के लिए आवेदन किए गए प्राधिकरणों पर लागू नहीं होता है।	<b>अनुच्छेद 4.07 के अंतर्गत प्राप्त किसी भी अग्रिम प्राधिकरण के संबंध में 01.04.2015 को या उसके बाद डीजीएफटी कार्यालय की किसी भी मानदंड समिति (एनसी) द्वारा अनुमोदित मानदंड 31.03.2028 तक वैध रहेंगे।</b> चूंकि मानदंड समितियों के सभी निर्णय डीजीएफटी की वेबसाइट पर कार्यवृत्त के रूप में उपलब्ध हैं, इसलिए अग्रिम प्राधिकरण के अन्य सभी आवेदक भी इन मानदंडों की वैधता अवधि के दौरान ऐसे अनुमोदित मानदंडों के आधार पर बार-बार आवेदन करने और अपना प्राधिकरण प्राप्त करने के पात्र हैं। यह अनुच्छेद परिशिष्ट 4पी के अंतर्गत सूचीबद्ध मदों के लिए आवेदन किए गए प्राधिकरणों और उन तदर्थ मानदंडों पर लागू नहीं होता है जिनमें मानदंड समिति (एनसी) ने स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया है कि ऐसे मानदंड अन्य आवेदनों पर लागू नहीं होंगे।

**एचबीपी-2023 के पैरा 4.07 के तहत 01.04.2015 को या उसके बाद मानदंड समितियों द्वारा अनुमोदित तदर्थ मानदंडों की वैधता अवधि 31.03.2028 तक वैध रहेगी।**

इस संशोधन का उद्देश्य निर्यातकों के लिए निरंतरता, पूर्वानुमान सुनिश्चित करके और लेनदेन लागत को कम करके व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे आधिकारिक सार्वजनिक सूचना यहां देखें:

[https://membership.plasticsepc.org/emails\\_images/202605050601\\_19.pdf](https://membership.plasticsepc.org/emails_images/202605050601_19.pdf)

यह आपकी जानकारी के लिए है।

साभार

भारती परवे

उप निदेशक (व्यापार एवं नीति)

प्लेक्सकौन्सिल

